

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

-: अधिसूचना :-

राँची,

दिनांक :- 29-1-14

अधि.सं.-02/स्था.(विविध)-07-66/2013.....796 / विभागीय अधिसूचना सं.-6566 दिनांक 06.11.2013 के क्रमांक 62 पर अंकित श्री रमेश कुमार चौधरी, तत्कालीन अवर सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची सम्प्रति सहायक अभियंता (निलं.), लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची को दिनांक 13.09.2009 के प्रभाव से स्वीकृत किये गये द्वितीय एम.ए.सी.पी. को रद्द किया जाता है।

2. विभागीय अधिसूचना सं.-6566 दिनांक 06.11.2013 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

796

राँची, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को अधिसूचना की तीन मूल प्रतियों के साथ गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट में प्रकाशनोपरांत प्रकाशित गजट की 25 (पच्चीस) प्रतियाँ विभाग को अभिलेख हेतु भेजने की कृपा की जाय।

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

796

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखंड, राँची, पो.-हिनू, राँची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि अपने अभिलेख से योगदान की तिथि एवं सेवा में टूट संबंधी आवश्यक जाँच कर वेतन पुर्जा निर्गत किया जाय।

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

796

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची/सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रीमंडल(निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, राँची/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव (प्रबंधन कोषांग सहित)/ सभी संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ सभी संबंधित अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड/ वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं 2, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)